रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली शनिवार, अप्रैल 29, 1972/वैशाख 9, 1894
No. 229] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 29, 1972/VAISAKHA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th April 1972

S.O. 329(E)/15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as M/s. Balarama Varma Textiles Ltd., Shencottah, for which, having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri C. A. Subramaniam, Sri Sai, 40, Pois Garden, Madras.

Member

2. Dr. P. V. Seshadri, Adviser (Technical) National Textile Corporation, New Delhi.

Member-Secretary

3. Shri G. V. S. Desikan, Technical Director, Tamil Nadu Textile Corporation, Madras.

[No. 3(1)/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1972

का० आ० 329(अ)/15/अ ई डी अ ए/71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैसर्स बलराम वर्मा टैक्सटाइल्स लि०, शिनकोटा नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबंध में उत्पादन के परिणाम में भारी गिरावट हुई है, जिसके लिये, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ।

अतः, अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है : —

(1) श्री सी० ए० सुब्रह्मण्यम, श्री साई, 40 पोइस गार्डन, मद्रास ।	अध्यक्ष
(2) डा० पी०वी० शेषाद्रि, सलाहकार (तकनीकी) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली ।	सदस्य
(3) श्री जी० वी० एस० देसिकन, तकनीकी निदेशक, तमिलनाडु टैक्सटाइल्स कारपोरेशन, मद्रास ।	सदस्य-सचिव

[सं० फा० 3(1)/72—सी० यू० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO RO. NEW DELHI ANL PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972